

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2014—आश्विन 22, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का सागर जिले की मालथौन तहसील में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये मालथौन में पृथक मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 14th October 2014

No. D-15-36-2014-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a Separate market at Malthon for the purpose of the Said "Act" for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Tehsil Malthon in Sagar District.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six Weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6139-6628-चौदह-1, दिनांक 13 सितम्बर 1962 द्वारा राज्य सरकार ने सागर जिले की खुरई एवं मालथौन तहसील में समाविष्ट क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, "उक्त मंडी क्षेत्र" में से मालथौन तहसील में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके पृथक मंडी स्थापित करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में "उक्त क्षेत्र" को विपाटित करके मालथौन में पृथक मंडी स्थापित करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 14th October 2014

No. D-15-36-2014-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. XIV-1.—Dated 21st February 1969 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government regulated the of Khurai and Malthon Tehsil of the Sagar District, (here in after referred to as the “said market area.”).

And where as it is now proposed to establish a seprate market by splitting the area comprising of villages situated in malthon Tehsil of Sagar District (here in after referred to as the “said area”).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to establish a seprate market at Malthon by splitting the “said area” From the “said market area”.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.